न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्या: **364 / 2017** दायर दिनाँक **19.12.2017**

वादी		प्रतिवादीगण
1. गोपाल पुत्र स्व भंवरलाल जाति सुनार निवासी सुद्रासन तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. कानाराम पुत्र नारायणराम 2. भोजराज पुत्र नारायणराम 3. जवाहरलाल पुत्र नारायणराम 4. गोपाल पुत्र नारायणराम 5. टोडाराम पुत्र नारायणराम 6. मु0 पतासी पत्नी नारायणराम समस्त जाति जाट निवासी सुद्रासन तहसील डीडवाना 7. बाबूलाल पुत्र स्व0 भंवरलाल 8. गजानन्द पुत्र स्व0 भंवरलाल 9. कैलाशचन्द पुत्र स्व0 भंवरलाल 10. अशोक कुमार पुत्र घनश्याम 11. राजकुमार पुत्र घनश्याम 12. रामावतार पुत्र स्व0 मांगीलाल 13. कमल किशोर पुत्र ओमप्रकाश पुत्र स्व0 मांगीलाल नाबालिंग जरिये कुदरती दादी चुंकादेवी पत्नी स्व0 मांगीलाल 14. जगदीश पुसाद पुत्र स्व0 मांगीलाल 15. दिनेश कुमार पुत्र स्व0 मांगीलाल 16. केशर पुत्र स्व0 मांगीलाल 17. मन्जू पुत्री स्व0 मांगीलाल 18. राधा पुत्री स्व0 मांगीलाल 19. प्रभाती पुत्री स्व0 मांगीलाल 20. चुंका देवी पत्नी स्व0 मांगीलाल 21. मालचन्द पुत्र स्व0 घीसालाल 22. कालू पुत्र स्व0 घीसालाल समस्त जाति सुनार निवासी सुद्रासन तहसील–डीडवाना जिला–नागौर, राजस्थान 23. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्

घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा,

अन्तर्गत धारा– 88, 188, R.T.Act.

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 364/2017
दायर दिनाँक 19.12.2017, निर्णय दिनाँक 09.04.2018
गोपाल बनाम कानाराम वगैरा।

उपस्थितः–

1. श्री ओमप्रकाश पूनिया वकील, वादी।
2. श्री मनफुल खां वकील प्रतिवादी सं0 07 ता 09

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **09.04.2018**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, मौजा सुद्रासन की सरहद के खेत खसरा सं0 317 रकबा 07 बीघा 08 बिस्वा, खसरा सं0 325 रकबा 12 बीघा 04 बिस्वा, खसरा सं0 326 रकबा 12 बीघा कुल रकबा 31 बीघा 12 बिस्वा वादी व प्रतिवादीगण सं0 07 ता 22 की पैत्रिक कब्जा काश्त व खातेदारी के खेत है। वर्तमान जमाबन्दी संवत 2069–2072 की नकल पेश है।

वादी के दादा स्व0 नोपाराम के चार पुत्र स्व0 घनश्याम, स्व0 घीसाराम, स्व0 भंवरलाल व स्व0 मांगीलाल हुए जिनमें घनश्याम, घीसाराम, भंवरलाल व मांगीलाल का स्वर्गवास हो गया है। स्व0 घनश्याम के वारिसान प्रतिवादी सं0 10 ता 11 है तथा घीसाराम के वारिसान प्रतिवादी सं0 21 ता 22 है तथा मांगीलाल के वारिसान प्रतिवादी सं0 12 ता 19 है, स्व0 भंवरलाल के वारिसान में वादी व प्रतिवादी सं0 07 ता 09 व स्व0 सूरजमल है।

वादी के पिता भंवरलाल के जीवनकाल में ही वादी के भाई सूरजमल अपने भाई व पिता से अलग हो गया था और अलग ही कमाता खाता था। वादी के पिता के जीवनकाल में ही वादी के भाई सूरजमल को स्व0 भंवरलाल की खातेदारी का अन्य खेत मौजा सुद्रासन के खेत खसरा सं0 14 में से 1/6 हिस्सा के अनुसार भाई बन्टवारा कर अलग बंट दे दिया तब से वादी का भाई सूरजमल को खेत खसरा सं0 14 में अपने पक्के मकान बना कर अपने भाईयों से अलग रहने लग गया था। भईबन्ट की लिखापढी दिनांक 11.05.1987 की पेश है। वादी व प्रतिवादी सं0 07 ता 09 की माता मनभरी ने अपना हिस्सा अपने पुत्र वादी व प्रतिवादी सं0 07 ता 09 को तर्क कर दिया है। जिससे मनभरी का नाम उपरोक्त खेतों की खातेदारी से हटाया गया है।

वादी के पिता भंवरलाल के स्वर्गवास के वक्त जब स्व0 भंवरलाल फौतगी म्यूटेशन भरा गया तब भंवरलाल के हिस्से के तमाम खेतों में वादी के भाई सूरजमल का नाम भी खेतों की खातेदारी में दर्ज हो गया। वादी का भाइ सूरजमल का भी स्वर्गवास होने पर स्व0 सूरजमल के वारिसान रमेशचन्द, बुधराज, नन्दकिशोर, द्वारका प्रसाद, दीनदयाल, बैवा नौरती का नाम फौतगी म्यूटेशन खेत खसरा सं0 317, 325, 326 में दर्ज हो गया जबकि स्व0 सूरजमल को उनका 1/6 हिस्सा खेत खसरा सं0 14 रकबा 35 बीघा 16 बिस्वा में से भाई बन्ट में दिया गया था। जिस पर वादी का भाई स्व0 सूरजमल का कब्जा काश्त था।

स्व0 सुरजमल के फौत होने पर सूरजमल के नाम गलत म्यूटेशन के आधार पर उनके वारिसान का भी स्व0 सूरजमल के गलत म्यूटेशन के स्थान पर उनका नाम भी उपरोक्त खेतों में गलत दर्ज हो गया।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

इसलिए स्व0 सूरजमल के वारिसानों द्वारा दिनांक 22.03.1993 को अपना संभावित हिस्से का रजि0 बेचाण प्रतिवादी संख्या 01 ता 06 के पिता व पति नारायणराम पुत्र हेमाराम को उक्त गलत म्यूटेशन के आधार पर सभी खेतों में से कर दिया। जबकि नारायणराम को वक्त बैचाण के वक्त खसरा सं0 14 में से कब्जा दिया गया था और नारायणराम के फौत होने पर उनके स्थान पर प्रतिवादी सं0 01 ता 06 का नाम उपरोक्त खसरों के खातेदारी में नाम गलत दर्ज हो गया। जबकि प्रतिवादी सं0 01 ता 06 का कब्जा काश्त खेत खसरा सं0 14 में है न कि खेत खसरा सं0 317, 325, 326 वा है। प्रतिवादी संख्या 01 ता 06 गलत खातेदारी की ओंट में उपरोक्त खेत बैचाण करने की संवत हाल में धमकी देने से वादी व प्रतिवादी सं0 07 ता 09 के जायज खातेदारी अधिकार खतरे में पड गये हैं इसलिए प्रतिवादी सं0 01 ता 06 का नाम खेत खसरा सं0 317, 325, 326 की खातेदारी में से हटाया जाने की घोषणा कराने का अधिकारी है। जिस हेतु प्रतिवादी सं0 01 ता 06 का नाम खातेदारी से हटाये जाने की घोषणा बाबत यह दावा पेश है।

वादी के बन्ट व कब्जा काश्त की जमीन खेत खसरा सं0 317, 325, 326 में प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 06 का नाम गलत संयुक्त खातेदारी में दर्ज होने के कारण प्रतिवादी सं0 01 ता 06 वादी व प्रतिवादी संख्या 07 ता 09 के बन्ट की जमीन को गलत खातेदारी की औट में बैचाण करने की धमकिया दे रहे है। जिस कारण वादी व प्रतिवादी सं0 07 ता 09 के जायज अधिकार खतरे में पड गये है। इसलिए प्रतिवादीगण सं0 01 ता 06 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाना न्याय संगत है। जिस हेतु स्थाई निषेधाज्ञा का दावा पेश है।

प्रार्थना वादी है कि मौजा सुद्रासन की सरहद के खेत खसरा सं0 317 रकबा 07 बीघा 08 बिस्वा, खसरा सं0 325 रकबा 12 बीघा 04 बिस्वा, खसरा सं0 326 रकबा 12 बीघा कुल रकबा 31 बीघा 12 बिस्वा की खातेदारी में से प्रतिवादी सं0 01 ता 06 का नाम हटाया जाने की घोषणा की जाने का आदेश फरमाया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 23 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 ता 06 तथा 10 का 23 बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 07, 08, 09 ने राजीनामा पेश किया। राजीनामा की इबारत् पक्षकारान् को पढकर सुनाई व समझाई गयी, जिसे बिना किसी दबाव या लालच के सही होना पक्षकारान् द्वारा स्वीकार किया गया। वादी की पहचान वकील श्री ओमप्रकाश पूनिया ने की व प्रतिवादीगण की पहचान वकील श्री मनफुल खां ने की है। हस्ब बख्वाहिश राजीनामा तस्दीक किया गया।

पक्षकारान् राजीनामा के मुताबिक, राजीनामा अनुसार दावा डिक्री चाहते हैं।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 364/2017
दायर दिनाँक 19.12.2017, निर्णय दिनाँक 09.04.2018
गोपाल बनाम कानाराम वगैरा।

विद्वान वकुलाय की सारगर्भित बहस सुनी गयी। पक्षकारान् ने जरिये वकुलाय अपना राजीनामा पेश कर दिया है। पक्षकारान् राजीनामा मुताबिक दावा डिक्री किया जाने का निवेदन कर रहे हैं। पत्रावली पर रिकॉर्ड का अवलोकन किया। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

वाद में राजीनामा पेश हो चुका है व वाद का किसी पक्षकार द्वारा खण्डन नहीं किया गया है। राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में दावा डिक्री किया जाना हमारे मत में उचित प्रतीत होता है।

अतः, बाद विवेचन, वाद, राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्व दावा राजीनामा डिक्री सादिर कर वाके सरहद मौजा सुद्रासन की सरहद के खेत खसरा सं0 317 रकबा 07 बीघा 08 बिस्वा, खसरा सं0 325 रकबा 12 बीघा 04 बिस्वा, खसरा सं0 326 रकबा 12 बीघा कुल रकबा 31 बीघा 12 बिस्वा की खातेदारी में से प्रतिवादी सं0 01 ता 06 का नाम हटाया जाता है। शेष खाता यथावत रखा जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **09.04.2018** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **364/2017** दायर दिनाँक **19.12.2017**

वादी		प्रतिवादीगण
1. गोपाल पुत्र स्व भंवरलाल जाति सुनार निवासी सुद्रासन तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. कानाराम पुत्र नारायणराम 2. भोजराज पुत्र नारायणराम 3. जवाहरलाल पुत्र नारायणराम 4. गोपाल पुत्र नारायणराम 5. टोडाराम पुत्र नारायणराम 6. मु0 पतासी पत्नी नारायणराम समस्त जाति जाट निवासी सुद्रासन तहसील डीडवाना 7. बाबूलाल पुत्र स्व0 भंवरलाल 8. गजानन्द पुत्र स्व0 भंवरलाल 9. कैलाशचन्द पुत्र स्व0 भंवरलाल 10. अशोक कुमार पुत्र घनश्याम 11. राजकुमार पुत्र घनश्याम 12. रामावतार पुत्र स्व0 मांगीलाल 13. कमल किशोर पुत्र ओमप्रकाश पुत्र स्व0 मांगीलाल नाबालिंग जरिये कुदरती दादी चुंकादेवी पत्नी स्व0 मांगीलाल 14. जगदीश पुसाद पुत्र स्व0 मांगीलाल 15. दिनेश कुमार पुत्र स्व0 मांगीलाल 16. केशर पुत्र स्व0 मांगीलाल 17. मन्जू पुत्री स्व0 मांगीलाल 18. राधा पुत्री स्व0 मांगीलाल 19. प्रभाती पुत्री स्व0 मांगीलाल 20. चुंका देवी पत्नी स्व0 मांगीलाल 21. मालचन्द पुत्र स्व0 घीसालाल 22. कालू पुत्र स्व0 घीसालाल समस्त जाति सुनार निवासी सुद्रासन तहसील–डीडवाना जिला–नागौर, राजस्थान 23. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खतेदारी, व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 88, 188, R.T.Act.

दिनाँक **09.04.2018**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री ओमप्रकाश पूनिया, वकील, वादी व श्री मनफुल खां वकील, प्रतिवादीगण संख्या 07 ता 09 ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि दावा राजीनामा डिक्री सादिर कर वाके सरहद मौजा सुद्रासन की सरहद के खेत खसरा

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

सं0 317 रकबा 07 बीघा 08 बिस्वा, खसरा सं0 325 रकबा 12 बीघा 04 बिस्वा, खसरा सं0 326 रकबा 12 बीघा कुल रकबा 31 बीघा 12 बिस्वा की खातेदारी में से प्रतिवादी सं0 01 ता 06 का नाम हटाया जाता है। शेष खाता यथावत रखा जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–............ ....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह..........–.......... आज की तारीख को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 09.04.2018 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांक–364–2017 / रैवेन्यू / 2018 / 359 दिनांक 10/4/18

प्रेषिति–

तहसीलदार
डीडवाना।

विषय: –निर्णय की पालना करने बाबत्।
दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 88, 188, R.T.Act.

वादी		प्रतिवादीगण
1. गोपाल पुत्र स्व भंवरलाल जाति सुनार निवासी सुद्रासन तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. कानाराम पुत्र नारायणराम 2. भोजराज पुत्र नारायणराम 3. जवाहरलाल पुत्र नारायणराम 4. गोपाल पुत्र नारायणराम 5. टोडाराम पुत्र नारायणराम 6. मु0 पतासी पत्नी नारायणराम समस्त जाति जाट निवासी सुद्रासन तहसील डीडवाना 7. बाबूलाल पुत्र स्व0 भंवरलाल 8. गजानन्द पुत्र स्व0 भंवरलाल 9. कैलाशचन्द पुत्र स्व0 भंवरलाल 10. अशोक कुमार पुत्र घनश्याम 11. राजकुमार पुत्र घनश्याम 12. रामावतार पुत्र स्व0 मांगीलाल 13. कमल किशोर पुत्र ओमप्रकाश पुत्र स्व0 मांगीलाल नाबालिंग जरिये कुदरती दादी चुंकादेवी पत्नी स्व0 मांगीलाल 14. जगदीश पुसाद पुत्र स्व0 मांगीलाल 15. दिनेश कुमार पुत्र स्व0 मांगीलाल 16. केशर पुत्र स्व0 मांगीलाल 17. नन्जू पुत्री स्व0 मांगीलाल 18. राधा पुत्री स्व0 मांगीलाल 19. प्रभाती पुत्री स्व0 मांगीलाल 20. चुंका देवी पत्नी स्व0 मांगीलाल 21. मालचन्द पुत्र स्व0 घीसालाल 22. कालू पुत्र स्व0 घीसालाल समस्त जाति सुनार निवासी सुद्रासन तहसील–डीडवाना जिला–नागौर, राजस्थान 23. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner